599

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

प0:-10(3)राज-6/2001/6 जयपुर, दिनांक 17-9-13

-:परिपत्र:-

समस्त जिला कलक्टर,

विषयः- चारागाह भूमि के बदले अन्य भूमि चारागाह घोषित कर अकृषि प्रयोजनार्थ आवंटन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय समसंख्यक परिपत्र दिनांक 25.4.11 एवं 17.4.2013 की निरन्तरता में ग्रामों में स्थित सार्वजनिक भूमि के संबंध में सिविल अपील संख्या 1132/2011 @SLP(C) 3109/2011 जगपाल सिंह व अन्य बनाम पंजाब राज्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.1.2011 में प्रतिपादित किये गये सिद्धान्तों के संदर्भ से निम्न बिन्दु पर विधि विभाग से अभिमत चाहा गया- .

"क्या चारागाह भूमि के बदले अन्य भूमि को चारागाह घोषित कर, उक्त भूमि में खनन की स्वीकृति दिया जाना माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के प्रतिकूल तो नही होगा।"

इस बिन्दु पर विधि विभाग द्वारा चारागाह भूमि के बदले अन्य भूमि को चारागाह घोषित कर उक्त भूमि में खनन की स्वीकृति दिया जाना मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के प्रतिकूल माना है।

अतः भविष्य में चारागाह भूमि के बदले अन्य भूमि को चारागाह घोषित कर उक्त भूमि में खनन स्वीकृति संबंधी आवंटन के प्रस्तावों पर विचार नही किया जावे।

16/9/13
उप शासन सचिव

प्रतिलिपिः- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय राजस्व मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व
4. सम्भागीय आयुक्तगण (समस्त), राजस्थान।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल, राज0 अजमेर।
6. विशिष्ठ शासन सचिव/संयुक्त शासन सचिव, राजस्व विभाग।
7. समस्त उप शासन सचिव राजस्व विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

16/9/13
उप शासन सचिव

LALIT-301